

class - III  
clerical (field)

हरियाणा सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 सितम्बर, 1996

सं० सा० का० नि० 90/संविधान/अनुच्छेद 309/96.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग, लिपिकीय क्षेत्रीय कर्मचारिवृन्द स्थापना तकनीकी कर्मचारिवृन्द से भिन्न, (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित सेवा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग लिपिकीय, क्षेत्रीय कर्मचारिवृन्द स्थापना तकनीकी कर्मचारिवृन्द से भिन्न (ग्रुप ग) सेवा नियम, 1996 कहे जा सकते हैं।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, अधीन सेवाएं प्रवरण बोर्ड, हरियाणा ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में पहले से किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ज) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा), प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; अथवा

संक्षिप्त नाम।

परिभाषाएं।

- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (घ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग लिपिकीय क्षेत्रीय कर्मचारिवृन्द स्थापना तकनीकी कर्मचारिवृन्द से भिन्न (शुप ग) सेवा।

## भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या  
और उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे ;

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदानामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी या अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती  
किये गये उम्मीदवारों  
की राष्ट्रियता,  
अधिवास तथा  
चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित जन हो,—

- (क) भारत का नागरिक ; या
- (ख) नेपाल की प्रजा ; या
- (ग) भूटान की प्रजा ; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962; से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जयरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये, प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु निरुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली-भाँति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी-भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी की आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पूर्व मास के प्रथम दिन को सत्रह वर्ष से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा ऐसी होगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में और सीधे भर्ती से अन्यथा नियुक्त व्यक्तियों की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

योग्यताएं ।

परन्तु भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग वर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अपेक्षित योग्यताओं वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

अयोग्यताएं ।

(क) जिसने जिवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है ; या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जोवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि, सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी:—

भर्ती का ढंग ।

(क) कार्यालय अधीक्षक की दशा में,—

(i) उप-अधीक्षक या उप-अधीक्षक एवं लेखाकार में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

बीठ :—कायालय अधीक्षक के पद की जिम्मेदारियां उप-अधीक्षक या उप-अधीक्षक एवं लेखाकार के पद से उच्चतर हैं।

(ख) उप-अधीक्षक की दशा में,—

(i) सहायकों, लेखाकारों, लेखा लिपिकों, भण्डारपाल श्रेणी क केयर-टेकर या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) उप-अधीक्षक एवं लेखाकार की दशा में,—

(i) सहायक, लेखाकार, लेखा लिपिक, भण्डारपाल श्रेणी क केयर-टेकर या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) सहायक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) लेखाकार की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) लेखा लिपिक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) भण्डारपाल श्रेणी क की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारी स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) केयर-टेकर की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; या

(झ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) 75 प्रतिशत कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ञ) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) 75 प्रतिशत आशुटककों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ट) आशु टंकक की दशा में,—

(i) 25 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ठ) लिपिक की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत रिकाई रेस्टोरर और ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड) कोषाध्यक्ष की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत रिकाई रेस्टोरर तथा ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ढ) भण्डारपाल श्रेणी ख की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत रिकाई रेस्टोरर तथा ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ण) सहायक भण्डारपाल की दशा में,—

(i) 20 प्रतिशत रिकाई रेस्टोरर तथा ग्रुप घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; तथा

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(त) रिकाई रेस्टोरर की दशा में,—

(i) ग्रुप घ कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा।

परिबीक्षा।

परन्तु,—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिबीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन परिबीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिबीक्षा पर व्यतीत की गई, अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिबीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिबीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो, वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों और शर्तों अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिबीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति की तिथि से पृष्ठ कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो, घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ब) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धों तथा शर्तों के अनुसार हों ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु, परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, कोई है, शामिल है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि, एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसे सदस्यों ऐसी नियुक्तियों में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(ब) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर ऐसा करने के लिये आदेश दिये जाने पर सेवा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्व-विद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपील से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियों को खताने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

सेवा करने का  
बाधित।

वेतन, छुट्टी,  
पेंशन तथा अन्य  
मामले।

अनुशासन, शास्तियां  
तथा अपीलें।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (i) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी बने होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ब में बताये गये हैं।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे टीका लगवायेगा और पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा बिबि द्वारा यथा स्थापित भारत के विद्वान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह, नियुक्ति आदेश में विशेष विवरण तथा शर्तें लगाए। उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सबब-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों अथवा किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी समय भी पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा न्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से पुराने पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय अधीक्षक ..	1	—	1	1,640—60—2,600—दक्षतारोध—75—2,900
2	उप-अधीक्षक ..	6	4	10	1,640—60—2,600—दक्षतारोध—75—2,900
3	उप-अधीक्षक एवं लेखाकार ..	—	1	1	1,640—60—2,600—दक्षतारोध—75—2,900
4	सहायक ..	8	15	23	1,400—40—1,600—50—2,300—दक्षतारोध—60—2,600
5	लेखाकार ..	2	10	12	1,400—40—1,600—50—2,300—दक्षतारोध—60—2,600
6	लेखा लिपिक ..	2	2	4	1,400—40—1,600—50—2,300—दक्षतारोध—60—2,600
7	भण्डारपाल श्रेणी क	—	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300—दक्षतारोध—60—2,600
8	केयर-टेकर	—	1	1	1,400—40—1,600—50—2,300—दक्षतारोध—60—2,600
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक ..	—	7	7	1,400—40—1,600—50—2,300—दक्षतारोध—60—2,600
10	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक ..	—	5	5	1,200—30—1,560—दक्षतारोध—40—2,040

1	2	3	4	5	6
11	आशुटकक ..	9	14	23	950—20—1,150—दक्षतारोध—25— 1,500+100—विशेष वेतन
12	लिपिक ..	40	11	51	950—20—1,150—दक्षतारोध—25— 1,500
13	कोषाध्यक्ष ..	1	4	5	950—20—1,150—दक्षतारोध—25— 1500
14	भण्डारपाल श्रेणी ख	2	9	11	950—20—1,150—दक्षतारोध—25— 1500
15	सहायक भण्डारपाल	1	—	1	950—20—1,150—दक्षतारोध—25— 1,500
16	रिकार्ड रेस्टोरर ..	3	1	4	950—20—1,150—दक्षतारोध—25— 1,500

क्रम  
संख्या

1

1

2 उ

3 उप-  
ले

4 सहाय

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	कार्यालय अधीक्षक	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिंदी का ज्ञान; (iii) उप-अधीक्षक या उप-अधीक्षक एवं लेखाकार के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
2	उप-अधीक्षक	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) सहायक, लेखाकार, लेखा लिपिक, भण्डारपाल श्रेणी क, केयर टेकर या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
3	उप-अधीक्षक एवं लेखाकार	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) सहायक, लेखाकार, लेखा लिपिक, भण्डारपाल श्रेणी क, केयर टेकर या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
4	सहायक	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

1	2	3	4
4	सहायक	—	(iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
5	लेखाकार	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशु-लिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख, या सहायक भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
6	लेखा लिपिक	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।
7	भण्डारपाल श्रेणी क	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव,
8	केयर टेकर	—	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, आशुटंकक, लिपिक, कोषाध्यक्ष, भण्डारपाल श्रेणी ख या सहायक भण्डारपाल के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।

1	2	3	4
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ; या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव । (iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण का विभागीय टैस्ट पास किया जाना आवश्यक (तृटियां 4 प्रतिशत से अधिक नहीं) ।
10	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ; या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ;	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) आशुलिपिक के पद पर कम से कम 2 वर्ष का अनुभव ; (iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ; या 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण का आशुलिपि का विभागीय टैस्ट पास करना आवश्यक (तृटियां 8 प्रतिशत से अधिक नहीं) ।
11	आशुलिपिक	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ; या	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) ; (ii) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) लिपिक के रूप में दो वर्ष की सेवा ; (iv) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द

1	2	3	4
			प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ; या
		80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण ।	80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका लिप्यन्तरण का विभागीय टैस्ट पास करना आवश्यक है
12	लिपिक	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप टैस्ट पास करना होगा ।	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) रिकार्ड रेस्टोरर या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव; (iv) उसे सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करनी होगी ।
13	कोषाध्यक्ष	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्द का ज्ञान; (iii) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करनी होगी ।	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) रिकार्ड रेस्टोरर या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव; (iv) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करनी होगी ।
14	भण्डारपाल श्रेणी ख	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करना होगी	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान (iii) रिकार्ड रेस्टोरर या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव (iv) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करनी होगी ।
15	सहायक भण्डारपाल	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करनी होगी ।	(i) दसवीं/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष/10+2(व्यावसायिक); (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; (iii) रेस्टोरर या ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव । (iv) सरकार के निदेशों के अनुसार टाईप की परीक्षा पास करनी होगी ।
16	रिकार्ड रेस्टोरर	---	(i) कम से कम मिडल पास ; (ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव ।

क्रम पदना  
संख्या

1

1 कार्याल

2 उप-अध

3 उप-अध  
एवं ले

4 सहायक

5 लेखाका

6 लेखा नि

7 भण्डार  
श्रेणी

8 केपर टे

9 लिपिक

10 लिपिक

11 लिपिक

12 लिपिक

13 लिपिक

परिशिष्ट ग  
[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अंतिम प्राधिकारी यदि कोई है।
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय अधीक्षक	निदेशक	1. छोटी शास्तियां : (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;	निदेशक	सचिव	सरकार
2	उप-अधीक्षक		(ii) परिनिन्दा ;		हरियाणा सरकार,	
3	उप-अधीक्षक एवं लेखाकार		(iii) पदोन्नति रोकना ;		तकनीकी शिक्षा विभाग	
4	सहायक		(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार			
5	लेखाकार		को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय			
6	लेखा लिपिक		चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधि-			
7	भण्डारपाल श्रेणी क		कांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद			
8	केयर टेकर		या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित			
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई			
10	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग को वेतन से वसूली ; और			
11	आशुंकक		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन-वृद्धियां रोकना ;			
12	लिपिक		2. बड़ी शास्तियां : (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;			
13	कोषाध्यक्ष		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान			

1	2	3	4	5	6	7
14	भण्डारपाल श्रेणी ख		में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की			
15	सहायक भण्डारपाल		अवधि के दौरान वेतन- वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति			
16	रिकार्ड रेस्टोरर		उसकी भावी वेतन-वृद्धियां संयुक्त करने का प्रभाव रखेंगी या नहीं ; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्म- चारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ; (xi) अनिवार्य सेवा- निवृत्ति ; (x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरहता नहीं होगी ; (xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरहता होगी ।			

क्रम  
संख्या

1

1 काय

2 उप-

3 उप-

लेख

4 सदाय

5 लेखा

6 लेखा

7 भण्डा

8 कोष

9 वरिष्ठ

आय

10 कनिष्ठ

आय

11 आर्य

12 निमित्त

13 कोष

14 भण्डा

15 सहायक

16 रिकार्ड

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए मशकत प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई है
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय अधीक्षक	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय	निदेशक	सचिव	सरकार
2	उप-अधीक्षक	सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;		हरियाणा सरकार,	
3	उप-अधीक्षक एवं लेखाकार	और (ii) सेवा के सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		तकनीकी शिक्षा ।	
4	सहायक				
5	लेखाकार				
6	लेखा लिपिक				
7	भण्डारपाल श्रेणी क				
8	केयर टेकर				
9	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
10	कनिष्ठ वेतनमान ] आशुलिपिक				
11	आशुटंकक				
12	लिपिक				
13	कोषाध्यक्ष				
14	भण्डारपाल श्रेणी ख				
15	सहायक भण्डारपाल				
16	रिकार्ड रेस्टोरर				

कै० जी० वर्मा,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
तकनीकी शिक्षा विभाग ।

1948

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607

Dear Sir:

Very truly yours,  
[Signature]

[Authorised English Translation]

## HARYANA GOVERNMENT

## TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

## Notification

The 27th September, 1996

No. GSR 90/Const/Art. 309/96.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Technical Education Department, Ministerial Field Establishment other than Technical Staff (Group-C) Service, namely :—

## PART I—GENERAL

Short title

1. These rules may be called the Haryana Technical Education Department, Ministerial Field Establishment other than Technical Staff (Group C) Service Rules, 1996.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Board" means the Subordinate Services Selection Board;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Director" means the Director Technical Education, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "institution" means,—
  - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
  - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "recognised university" means,—
  - (i) any university incorporated by law in India; or
  - (ii) in the case of a degree, diploma, certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab Sind, or Dacca University; or
  - (iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purpose of these rules;

- (g) "Service" means the Haryana Technical Education Department, Ministerial Field Staff Establishment, other than Technical Staff (Group C) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is,—

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malwai, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal, Academic Officer of the University college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

5. No person shall be appointed to post in the Service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty five years of age, on or before the first day of August next preceding the last date of submission of application to the Board or any other authority ;

Age

Provided that in the case of candidates belonging to scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically handicapped persons, the upper age limit shall be such as may be fixed by Government from time to time.

Appointing  
authority.

6. Appointments to the posts in the service shall be made by the Director.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Board or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen and physically and handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of  
recruitment.

9. Recruitment to the service shall be made,—

(a) in the case of office Superintendent,—

- (i) by promotion from amongst the Deputy Superintendent or Deputy Superintendent-cum-Accountant; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

*Note* :—The responsibility of the post of office Superintendent is higher than the post of Deputy Superintendent or Deputy Superintendent-cum-Accountant.

(b) in the case of Deputy Superintendent,—

(i) by promotion from amongst the Assistant, Accountants, Accounts Clerk, Store-keeper Grade A, Care-taker or Senior Scale Stenographers in the service; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(c) in the case of Deputy Superintendent-cum-Accountant,—

(i) by promotion from amongst the Assistant, Accountants, Accounts Clerk, Storekeeper Grade A, Caretaker or Senior Scale Stenographers ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(d) in the case of Assistant,—

(i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer, Steno typist, Clerk, Cashier, Storekeeper Grade B or Assistant Storekeeper; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(e) In the case of Accountant,—

(i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer, Steno typist, Clerk, Cashier, Storekeeper Grade B or Assistant Storekeeper ; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(f) in the case of Accounts Clerk,—

(i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer, Steno typist, Clerk, Cashier, Storekeeper Grade B, Assistant Storekeeper; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(g) in the case of Storekeeper Grade A,—

(i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer, Stenotypists, Clerk, Cashier, Store-keeper Grade B or Assistant Storekeeper; or

- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (h) in the case of Caretaker,—
- (i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer, Stenotypist, Clerk, Cashier, Storekeeper Grade B or Assistant Storekeeper ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (i) in the case of Senior Scale Stenographer,—
- (i) 75% by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer ; and
- (ii) 25% by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (j) in the case of Junior Scale Stenographer,—
- (i) 75% by promotion from amongst the Stenotypists in the service ; and
- (ii) 25% by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (k) in the case of Stenotypist,—
- (i) 25% by promotion from amongst the clerks ; and
- (ii) 75% by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;
- (l) in the case of Clerk,—
- (i) 20% by promotion from amongst the Record Restorer any Group D employees ; and
- (ii) 80% by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(m) in the case of Cashier,—

(i) 20% by promotion from amongst the Record Restorer and Group D employees; and

(ii) 80% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(n) in the case of Storekeeper Grade B,—

(i) 20% by promotion from amongst the Record Restorers and Group D employees; and

(ii) 80% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(o) in the case of Assistant Storekeeper,—

(i) 20% by promotion from amongst the Record Restorers and Group D employees ; and

(ii) 80% by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(p) in the case of Record Restorer,—

(i) by promotion from amongst the Group D employees; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-fitness basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year if appointed otherwise ;

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service, may in the case of

Probation.

an appointment by transfer at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services ; and

- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On completion of the period of probation of a person the appointing authority may.—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

- (b) if his work or conduct, has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be, determined according to

pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the dates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12(1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

Liability of serve

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company or an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central Government or any other State Government or any other organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension  
and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as any have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties  
and appeals.

14 (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) or rule 9 of Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India, and to the Constitution of India as by law established.

Power of relax-  
ation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed 50% at any time.

Repeal and  
savings.

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

Sl. Design  
No.

1

1- Office

2 Deputy

3 Deputy

cum-

4 Assist

5 Acco

6 Acco

7 Store

8 Care

9 Scri

10 Jani

ph

11 Sen

12 Cle

13 Cal

14 Str

15 Ass

16 Re

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Total	Scale of pay
		Per- manent	Tem- porary	Total		
1	2	3	4	5	6	
1	Office Superintendent	1	..	1	Rs. 1,640-60-2,600-efficiency bar-75-2,900	
2	Deputy Superintendent	6	4	10	Rs. 1,640-60-2,600-efficiency bar-75-2,900	
3	Deputy Superintendent-cum-Accountant	..	1	1	Rs. 1,640-60-2,600-Efficiency bar-75-2,900	
4	Assistant	8	15	23	Rs. 1,400-40-1,600-50-2,300-efficiency bar-60-2,600	
5	Accountant	2	10	12	Rs. 1,400-40-1,600-50-2,300-efficiency bar-60-2,600	
6	Accounts Clerk	2	2	4	Rs. 1,400-40-1,600-50-2,300-efficiency bar-60-2,600	
7	Storekeeper Grade A	..	1	1	Rs. 1,400-40-1,600-50-2,300-efficiency bar-60-2,600	
8	Caretaker	..	1	1	Rs. 1,400-40-1,600-50-2,300-efficiency bar-60-2,600	
9	Senior Scale Stenographer	..	7	7	Rs. 1,400-40-1,600-50-2,300-efficiency bar-60-2,600	
10	Junior Scale Stenographer	..	5	5	Rs. 1,200-30-1,560-efficiency bar-40-2,040	
11	Stenotypist	9	14	23	Rs. 950-20-1,150-efficiency bar-25-1,500+100 special pay.	
12	Clerk	40	11	51	Rs. 950-20-1,150-efficiency bar-25-1,500	
13	Cashier	1	4	5	Rs. 950-20-1,150-efficiency bar-25-1,500	
14	Storekeeper Grade B	2	9	11	Rs. 950-20-1,150-efficiency bar-25-1,500	
15	Assistant Storekeeper	1	..	1	Rs. 950-20-1,150-efficiency bar-25-1,500	
16	Record Restorer	3	1	4	Rs. 950-20-1,150-efficiency bar-25-1,500	

## APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Office Superintendent	—	(i) Matric/Higher secondary or equivalent ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 3 years experience as Deputy superintendent-cum-Accountant.
2.	Deputy Superintendent	—	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Assistant Accountant, Accounts Clerk, Storekeeper Grade A, Caretaker or Senior Scale Stenographer.
3.	Deputy Superintendent-cum-Accountant	—	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Assistant Accountant, Accounts Clerk, Storekeeper Grade A, Caretaker or Senior Scale Stenographer.

1	2	3	4
4.	Assistant	—	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Junior Scale Stenographer, Stenotypist, clerk cashier, Storekeeper Grade B or Assistant Storekeeper.
5.	Accountant	—	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Junior Scale Stenographer, Stenotypist, Clerk Cashier, Storekeeper Grade B or Assistant Storekeeper.
6.	Accounts Clerk	—	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Junior Scale Stenographer, Stenotypist, Clerk, Cashier, Storekeeper Grade B or Assistant Storekeeper.
7.	Storekeeper Grade A	—	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi up to Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Junior Scale Stenographer, Stenotypist, Clerk, Cashier, Storekeeper, Grade B or Assistant Storekeeper.

1	2	3	4
8. Caretaker			(i) Matric/Higher Secondary or equivalent ; (ii) Hindi up to Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Junior Scale Stenographer, Stenotypist, Clerk, Cashier, Storekeeper, Grade B or Assistant Storekeeper.
9. Senior Scale Stenographer	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) ;
	(ii) Hindi upto Matric Standard ;	(ii) Hindi up to Matric Standard ;	
	(iii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription at 20 words per minute or English Shorthand at 100 words per minute and transcription at 20 words per minute ;	(iii) Atleast 3 years experience on the post of Junior Scale Stenographer ;	
			(iv) required to pass departmental test in Hindi shorthand 80 words per minute and transcription at 20 words per minute of English shorthand 100 words per minute and transcription 20 words per minute. Mistakes not exceeding 4 per cent.
10 Junior Scale Stenographer	(i) Matric/Higher secondary or equivalent/10+2 (Vocational) ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/ 10+2 (vocational) ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/ 10+2 (vocational) ;
	(ii) Hindi up to Matric Standard ;	(ii) Hindi upto Matric Standard ;	
	(iii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription at 20 words per minute or English Shorthand 100 words per minute and transription at 20 words per minute	(iii) Atleast 2 years experience on the post of Stenotypist ;	
			(iv) required to pass departmental stenography test in Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription 20 words per minute or English Shorthand at 80 words per minute and transcription at 20 words per minute. Mistake not exceeding 8 per cent.

1	2	3	4
11. Stenotypist	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) ; (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription 15 words per minute or English Shorthand 80 words per minute and transcription at 20 words per minute ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational); (ii) Hindi upto Matric Standard ; (iii) 2 years service as clerk ; (iv) required to pass departmental stenography test in Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription at 15 words per minute or English Shorthand Test at 80 words per minute and transcription at 20 words per minute.	
12. Clerk	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10 +2 (vocational) ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; (iii) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 Vocational) ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Record Restorer or Group D employee ; (iv) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government.	
13. Cashier	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/ 10+2 (Vocational) ; (ii) Knowledge of Hinsi upto Matric Standard ; (iii) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; (iii) 5 years experience as Restorer or Group D employee ; and (iv) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government	

1	2	3	4
14 Storekeeper Grade B	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (Vocational) ;  (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (Vocational) ;  (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;  (iii) 5 years experience as Restorer or Group D employees ; and  (iv) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government ;	
15 Assistant Storekeeper	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (Vocational) ;  (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;  (iii) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government.	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational);  (ii) Knowledge of Hindi up to Matric Standard ;  (iii) 5 years experience as Restorer or Group D employee ; and  (iv) He shall have to qualify type test as per instructions of the Government ;	
16 Record Restorer			(i) Atleast Middle pass ;  (ii) 5 years experience as Group D Employee ;

APPENDIX C

[See rule 15(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose	Appellate authority penalty	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Minor Penalties :</b>						
1	Office Superintendent	Director	(i) warning with a copy in the personal file (character roll) ;	Director	Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department	Government
2	Deputy Superintendent		(ii) censure ;			
3	Deputy Superintendent-cum-Accountant		(iii) withholding of promotion ;			
4	Assistant		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ;			
5	Accountant					
6	Accounts Clerk					
7	Storekeeper Grade A					
8	Caretaker					
9	Senior Scale Stenographer					
10	Junior Scale Stenographer					
11	Stenotypist					
12	Clerk					
13	Cashier					
14	Storekeeper Grade B					
15	Assistant Storekeeper					
16	Record Restorer		(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

2. Major Penalties :

- (vi) withholding of increments of pay without cumulative effect ;
- (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employees will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;
- (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which Government employee was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;
- (ix) compulsory retirement ;
- (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;
- (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX D

[See rule 15(2) ]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate Authority	Second and final appellate authority, if any.
1	2	3	4	5	6
1	Office Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension :	Director	Secretary to Government,	Government Technical Education Department
2	Deputy Superintendent				
3	Deputy Superintendent-cum-Accountant				
4	Assistant				
5	Accountant	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
6	Accounts Clerk				
7	Storekeeper Grade A				
8	Caretaker				
9	Senior Scale Stenographer				
10	Junior Scale Stenographer				
11	Stenotypist				
12	Clerk				
13	Cashier				
14	Storekeeper Grade B				
15	Assistant Storekeeper				
16	Record Restorer				

K. G. VERMA,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Technical Education Department,